संख्या-03/2016/80/84-डे0ई0-16-नि0-12/99टी.सी.

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 09 मार्च, 2016

विषय:- उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7-2015/वे0आ0-1-1042/दस-2015-36(एम)/08, दिनांक 04 नवम्बर, 2015 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उ0प्र0 हिन्दी संस्थान के कार्मिकों की अनुमन्यता के आधार पर उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस से संबंधित व्यय अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-04-उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-210/दस-2016, दिनांक 09 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या:03/2016/80(1)/84-डे0ई0-2016तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(4) उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go